परिशिष्ट–16

50 रूपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित

<u>शपथ पत्र</u>

मैं ....पुत्र/पुत्री श्री..

अध्यक्ष/सचिव..एतद्द्वारा निम्नलिखित तथ्यों की पालना की घोषणा करता/करती हूँ कि–

1 महाविद्यालय में सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न पदों हेतु निर्धारित कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों पर खुले विज्ञापन द्वारा राज्य सरकार के नियमो व नीतियों के अनुसार नियुक्त किया गया है तथा भविष्य में भी किया जाकर विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2 महाविद्यालय का संचालन किसी जाति/धर्म/ राजनैतिक एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन हेतु नहीं होगा। यदि महाविद्यालय द्वारा किसी जाति/धर्म, राजनीतिक प्रचार–प्रसार एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्तता पाई जाती है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंध समिति के विरूद्ध सिविल एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

3. महाविद्यालय द्वारा प्रदत्त की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में सभी जाति/धर्म एवं वर्गों के व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किये जायेंगे। यदि महाविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षणिक सुविधाओं में जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव किया जाता है तो सरकार ऐसी दशा में महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

4. महाविद्यालय प्रदूषण रहित क्षेत्र में संचालित किया जायेगा एवं महाविद्यालय द्वारा संचालित किसी गतिविधि से किसी प्रकार का प्रदूषण फैलता है तो सरकार महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

5. महाविद्यालय के संचालन हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः (Intoto) पालना की जायेगी। यदि महाविद्यालय संचालन में राजकीय निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो राज्य सरकार महाविद्यालय प्रबन्धन एवं प्रशासन के विरूद्ध कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

6. संस्था द्वारा महाविद्यालय स्थापना से तीन वर्ष की अवधि में स्वंय की भूमि पर महाविद्यालय भवन का निर्माण कर लिया गया है/ किया जायेगा।

7. महाविद्यालय का समस्त आय–व्यय (लेन–देन) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव के संयुक्त बैंक खाते से किया जा रहा है तथा महाविद्यालय के आय–व्यय का पृथक् लेखा जोखा संधारित कर प्रति वर्ष आडिट कराया जाता है और भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा जिसे निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर उपलब्ध करवाया जायेगा ।

8. महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग अभ्यर्थियों को क्रमशः 16, 12, 21 तथा 3 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाता है तथा भविष्य में भी दिया जाता रहेगा।

9 महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले सभी छात्रों का दुर्घटना बीमा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा) वित्त भवन, जयपुर के नियमानुसार करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

10 संस्था द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का अनुमोदन सम्बन्धित विश्वविद्यालय से करवाया जा रहा है तथा भविष्य में भी करवाया जाता रहेगा ।

11. संस्था के पास सतत और कुशलतापूर्वक ढंग से कार्य करने के लिये अपने स्रोतो से पर्याप्त आवृत्ति आय है ।

12. महाविद्यालय को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया गया है ।

13. महाविद्यालय की वेबसाईट बना ली गई है ।

14. महाविद्यालय भवन अन्य कोई संस्था संचालित नहीं है ।

15. महाविद्यालय की भूमि ऋण-भार से मुक्त है ।

16. आवेदित विषय/संकाय सम्बद्ध विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं ।

17. सांख्यिकी पुस्तिका की पूर्ति कर आयुक्तालय में प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

18. AISHE वेबसाइट पर रजिस्ट्रर कर DCF-II विभाग में जमा करवा दिया जायेगा ।

उपरोक्त सभी तथ्य मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है तथा मैने कोई भी तथ्य जानबूझकर नहीं छिपाया है। यदि उपरोक्त तथ्य गलत एवं असत्य पाये जाते हैं तो इसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी एवं राज्य सरकार संस्था के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगी।

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

मैं ....शिक्षण संस्था..........यह सत्यापित करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा 1 से 18 में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी एवं सत्यनिष्ठा में पूर्णतः सत्य एवं सही है। इसमें न तो कोई तथ्य गलत है, न ही कोई तथ्य छिपाया गया है।

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष / सचिव प्रबंध समिति)

स्थान–

दिनांक–